

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: पं० 12(1)चिस्वा/2/19

जयपुर,दिनांक: 10 8 AUG 2019

आदेश

डॉ० प्रीति अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.08.18 के द्वारा किया गया था।

डॉ० प्रीति अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी को निलम्बन से बहाल किये जाने के एतद् द्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं। इनकी निलम्बन अवधि के नियमितिकरण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा।

डॉ० प्रीति अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भादरा, जिला हनुमानगढ में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-E-

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-दिशिष्ट सहायक, चिकित्सा मंत्री महोदय।
- 2-निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3-निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज०जयपुर को उनकी पत्रावली संख्या पी-250 के संदर्भ में।
- 4-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ।
- 5-डॉ० प्रीति अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज०जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करे।
- 6-निजी/रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक - सीबी/सीएस/पी-250(लूज)/2019/ 688.

दिनांक : 14/8/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प 12(1)चिंस्वा/2/2019 दिनांक 08.08.2019 के क्रम में।
- 2 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर/बीकानेर।
- 3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को भेजकर लेख है कि डॉ० प्रीति अग्रवाल, तत्का० चि०अ० (स्त्रीरोग) विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहट जिला पाली के विरुद्ध आरोप पत्रादि अपने स्तर से तैयार कर पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावे, हाल निलम्बित मुख्यालय।
- 5 डॉ० प्रीति अग्रवाल, तत्का० चि०अ० (स्त्रीरोग) विशेषज्ञ, हाल निलम्बित को निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक विभाग के आदेश दिनांक 08.10.2019 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भादरा जिला हनुमानगढ़ में किया गया है, आप अपना उपस्थिति प्रतिवेदन तुरन्त प्रभाव से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत करावे।
- 6 आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 7 अति० प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सरथापन/डीपीसी/एटीसी, अनुभाग, मुख्यालय।
- 8 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।
- 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।